प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –04/2023

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र रोहिताष जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम्

1. रोहिताष पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. पुनम पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

4. अंकित कुमार पुत्र रोहिताष जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 12.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 केएनएन के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 1.2650 हैक्ट एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की कुल 1.1830 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 यानि की वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 के उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी, प्रतिवादी स0 2 व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है, वादी अपने हक हिस्सा अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 व 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:30:20 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए

इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा चक 10 केएनएन के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 1.2650 हैक्ट एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की कुल 1.1830 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1, 2 व 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 केएनएन के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी स0 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की कुल 1.1830 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। य इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –04 / 2023
अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र रोहिताष जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

—— वादी

बनाम्

1. रोहिताष पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. पुनम पुत्री रोहिताष जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

4. अंकित कुमार पुत्र रोहिताष जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 04 सन 2023 निर्णय दिनांक 12.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 केएनएन के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की 1.2650 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी स0 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 2/2 की कुल 1.1830 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:20 IST
Reason: SelfAttested